

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-553) अलेसे-1/3457-3465

दिनांक:- 29/04/24

आदेश संख्या:- 103 /2024-25

जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक 5139 दिनांक 13.03.2024 के द्वारा श्री मुकेश कुमार पंचोली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 9372) कार्यालय पंचायत समिति, शाहपुरा के विरुद्ध महात्मा गांधी नरेंगा योजना अन्तर्गत सामग्री मद में आवंटन से अधिक भुगतान के संबंध में गंभीर लापरवाही बरतने से सीसीए नियमों में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर श्री मुकेश कुमार पंचोली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, शाहपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय जिला परिषद्, भीलवाड़ा किया गया है।

उक्त आदेश की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-553) अलेसे-1/3457-3465

दिनांक:- 29/04/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि श्री मुकेश कुमार पंचोली के विरुद्ध लगाये गये चार्ज के संबंध में आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्रों एवं आरोपों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की एक प्रति इस निदेशालय को भी शीघ्र उपलब्ध करवाने का कष्ट करावे।
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा।
- 3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा।
- 4 कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
- 5 श्री मुकेश कुमार पंचोली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, शाहपुरा।
- 6 उप निदेशक (एसपीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक-1)
- 9 जॉच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)